संख्या-1/2016-2770/14-4-2015-500/2014

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-समस्त उप वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन अनुभाग-4 दिनांक, लखनऊ, 19 जनवरी 2016

विषय:अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत-सामाजिक वानिकी जिला योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि का जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

महोदय,

आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी योजना में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रु0 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष वर्ष 2014-15 हेतु नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-9/4/35-आ-2/2013-36, दिनांक 20-01-2015 से स्वीकृत परिव्यय को वर्ष 2015-16 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुए रु0 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) की धनराशि का शासनादेश संख्या-773/14-4-2015-500(45)/2014, दिनांक 03-06-2015 से आवंटन जारी किया गया है तथा निर्देश दिया गया था कि नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 का परिव्यय अनुमोदित होने के उपरान्त उक्त आवंटन अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक समायोजित किया जायेगा। आयोजनागत जिला योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 हेतु नियोजन विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9/4/35-आ-2 /2014-33, दिनांक 09-12-2015 से जनपदवार/योजनावार परिव्यय अनुमोदित कर दिया गया है, जो वर्ष 2014-15 के परिव्यय से भिन्न है।

2- नियोजन विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु जनपदवार/योजनावार अनुमोदित परिव्यय के दृष्टिगत अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-735/36-बी-15(जी)/एस0सी0एस0पी0(2015-16), दिनांक 16-12-2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राल्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-773/14-4-2015-500(45)/2014,

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 03-06-2015 से स्वीकृत धनराशि रु0 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़ मात्र) का निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन संशोधित स्वीकृति जारी करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नियोजन विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9/4/35-आ-2/2014-33 दिनांक09-12-2015 से योजनावार/जनपदवार अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत नियोजन विभाग द्वारा जनपद-गाजियाबाद एवं मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत परिव्यय का अनुमोदन नहीं किया जा सका है, इसलिए इन जनपदों के अन्तर्गत पूर्व में आवंटित बजट पूर्ववत रखा गया है।

4- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध उक्त योजना के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार/योजनावार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय। योजनावार स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य योजना का कार्य कदापि न कराया जाय।

6- आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।

7- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

8- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अधीन पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक-4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-वानिकी-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-सामाजिक वानिकी (सी0सी0एल0) (जिला योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-83-सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल के दाहिने ओर लाल स्याही में "आयोजनागत" शब्द अवश्य लिखा जाए, ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।

10- शासनादेश संख्या-773/14-4-2015-500(45)/2014, दिनांक 03-06-2015 में दिये गये समस्त निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

11- यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231 /2015, दिनांक 30-3-2015 में प्रतिनिहित अधिकारों तथा निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2770 (1)/14-4-2015-500(14)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा केन्द्रीय भवन, दसवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7- मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
8- समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इगिंत जनपदवार, प्रभागवार, आहरण एवं वितरण

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारीवार धनराशि की साख- सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें ।

10- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-3)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).
14- निदेषक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
15- कम्प्युटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http//shasanadesh.up.nic.in